आदेश

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0 बसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्र सख्या 7091 दिनांक 06.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर–वानिकी क्षेत्र में 41.000है0 भूमि भा0रा0रा0प्रा0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया हैं। **(पताका–क)**

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग व उप जिलाधिकारी सदर देहरादून को प्रकरण में भूमि का संयुक्त निरीक्षण करते हुए आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।**(पताका–ख)**

प्रकरण में महोदय द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा दिनांक 12.10.2024 को तहसील कालसी के ग्राम गडैता, लखस्यार, लटी, गास्की व थैना में 44.035है0 भूमि की आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 को उप जिलाधिकारी कालसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी को पत्र प्रेषित करते हुए प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कराते हुए सुस्पष्ट जॉच आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या 182/रा0लि0//2024–25 दिनांक 11/12/2024 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में ग्राम गडेता लखस्यार, लटौ, कालसी, थैना में 44 है0 भूमि प्रस्तावित की गयी थी, जिसके क्रम में दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग, राजस्व विभाग एवं एन0एच0ए0आई0 के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा सं0.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित उपयुक्त भूमि रकबा (है0 में)	श्रेणी
1	कालसी	गडैता	44	1	12.000	श्रेणी 5(3)(ड)–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
				4	3.000	
				5	8.000	
2		थैना	87	766	10.000	
3		लटौ	91	148	8.000	
				योग	41.000	

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–72 (झाझरा) के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने चाली चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 41.00है0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण की मांग की गयी है। उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या 182/रा0लि0//2024–25 दिनांक 11/12/2024 के साथ संलग्न राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015.18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई 2015, शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016दिनांक 28 जुलाई 2020 की शर्तो एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशो में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार जनपद देहरादून

COLLECTOR जिलाधीश देहरादून DEHRA DUN

तहसील कालसी के अन्तर्गत **ग्राम गडैत के खाता संख्या–44 के खसरा नं0 1 रकबा 12.000है0, खसरा नं0 4 रकबा 3.000है0, खसरा नं0 5 रकबा 8.000है0 व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं0 766 रकबा 10.000है0 तथा ग्राम लटौ के खाता संख्या 91 के खसरा नं0 148 रकबा 8.000है0 कुल रकबा 41.000है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवंटित/हस्तांतरित किया जाता है:–**

1– भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विषेश के लिए आवश्यक हो।

3– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।

4– हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।

5– यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायाल्य/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

6– उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0/–
(सविन बंसल)
जिलाधिकारी
देहरादून।
20.12.2024

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या– 330/XIIA-20/डी0एल0आर0सी0/2024 2023-26 दिनांक 24 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी।
5– मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।
6:– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– उप जिलाधिकारी, कालसी को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अमल दरामद की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
7– महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसन्त विहार देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8– कार्यालय प्रति।

COLLECTOR जिलाधीश देहरादून DEHRA DUN

प्रभारी अधिकारी/
कृते जिलाधिकारी देहरादून।